

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प बीदासर

-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी इकर व भू.अ.नि. इकर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बीदासर / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेनाया उमजी तहसील बीदासर व जिला बीदासर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 94 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>बेनाया उमजी</u>	<u>94</u> ख.क 26	<u>माया पत्नी इजहार</u> <u>ह 200/873</u> <u>मय काल नि</u> <u>बेनाया उमजी</u> <u>रहन ह 200</u> <u>873</u> <u>A & B - 15/10</u>	<u>सरोज लोहरा पत्नी मोहनलाल</u> <u>जति मेस्तर ह 200</u> <u>873</u> <u>नि की नकल</u>

157
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बीदासर

दिनांक :- 24-2-20

क्रमांक :- 115-16

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बीदासर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सरोज लोहरा पत्नी मोहनलाल मेस्तर नि को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

157
उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,
बीदासर

